

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 896/ 2022

IN THE MATTER OF:

Laxman Balyogi

.....Applicant

Versus

State of U.P. & Others.

...Respondents

INDEX

S.No.	Particulars	Page Nos.
1	Affidavit in Compliance of Order Dated 06.12.2023	1-4
2	<u>Annexure No.1</u> - A true copy of the inspection report dated 13.02.2024.	5-8

Lucknow

Dated:



Law Officer-I
UPPCB

Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 896 of 2022



IN THE MATTER OF:

Laxman Balyogi



.....Applicant


Versus

State of UP & Ors.

.....Respondent(s)

AFFIDAVIT OF THE LAW OFFICER, UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER
DATED 06.12.2023 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL.

I, Anuj Kumar Chaubey, S/o Late Ramanand Chaubey, aged about 44 years, presently posted as Law Officer-I, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under;



1. That the deponent, in above noted capacity, is well conversant with the facts and circumstances of the case

(Signature)


NOTARY

and as such I am competent to swear this affidavit, as under;

2. The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide its order dated 06.12.2023 has passed the directions. The operative portion of the order is quoted as below:-

.....

5. Learned Counsel appearing for UPPCB on instructions from one Anuj Chobey, Legal Officer has submitted that the discharge of domestic sewage has been stopped from going to the main drain which was ultimately going to Sai river. He is directed to file the affidavit of the officer who has instructed him to make such statement before the Tribunal stating the above fact also disclosing as to where the domestic sewage has been diverted and how it has been taken care of.....



3. That in pursuance to the order dated 06.12.2023 it is most respectfully stated that the information regarding to the stoppage of domestic sewage discharge has been provided by Shri Vinod Kumar, Assistant Environmental


Engineer, Regional Officer, UPPCB, Lucknow to the deponent.

4. That the inspection of the residential project namely M/s Dream Green City Phase-1, Village-Khasarwara, Tehsil-Sarojani Nagar, Lucknow is being carried on 13.02.2024. The relevant portion of the inspection report dated 13.02.2024 is as quoted below;

.....

5. उपरोक्त आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्पन्नवाह का निस्तारण उनमें स्थापित टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जाता है, निरीक्षण के समय आवासीय परियोजना परिसर के बाहर से उत्पन्नवाह जनित होता नहीं पाया गया।.....

The copy of the inspection report along with the photographs of the site is collectively being annexed as ***Annexure No.-1** to this affidavit.



That on 06.12.2023, our counsel Shri. Arvind Kumar has made a call to the deponent with respect to the discharge of sewage and I have verified the said fact from Shri Vinod Kumar, Assistant Environmental Engineer, Regional Officer, UPPCB, Lucknow and the information received to me that no sewage going into the drain, the deponent


instructed the Board Counsel accordingly, because as stated by Shri Vinod Kumar that the residential projects in question has made their own arrangements for the discharge of sewage and the same has been diverted into the septic tank and same is connected with sockpit and on that day no effluent was going into the drain and the position is still same till date.

6. That the affidavit is being filed before this Hon'ble Tribunal in compliance to the order dated 06.12.2023 passed by this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.



Deponent

VERIFICATION



I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true to my personal knowledge on the basis of the concerned documents. No part of this is false and nothing material has been concealed.

VERIFIED ON THIS THE ^{16th}..... DAY OF FEBRUARY, 2024, AT LUCKNOW.

Sworn and Verified
before me.

NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15



Deponent

I know & identify the deponent/Executor
who has signed/ put his T.T. before me

S J J
Advocate
Reg. No. 6043/1999

Adv. Leo



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई-मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 2364/सहमति-3300/2024 दिनांक : 13/02/24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:-आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-1, ग्राम-खसरवारा, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ के सम्बन्ध में।


महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-104/सी०ई०ओ० कैम्प/सी-5/2024 दिनांक 10/02/2024 एवं पत्र संख्या-एच 03972/सी-5/जल-444/2023 दिनांक 13/12/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में उक्त आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-1, ग्राम-खसरवारा, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 13/02/2024 को कराया गया।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


13/02/24
(डॉ० उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी



13/02/24


आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-1, ग्राम-खसरवारा, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ की निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-104/सी०ई०ओ० कैम्प/सी-5/2024 दिनांक 10/02/2024 एवं पत्र संख्या-एच 03972/सी-5/जल-444/2023 दिनांक 13/12/2023 के अनुक्रम में उक्त आवासीय परियोजना आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-1, ग्राम-खसरवारा, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 13/02/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री हदी (मैनेजर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-


1. मैसर्स ए०के० इन्फ्रा एण्ड रियलिटी डेवलपर्स प्रा०लि०, फ्लैट न०-2, सना पैलेस-2, अपो०-सहारागंज माल, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-1, ग्राम-खसरवारा, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ के नाम से प्लानिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है।
2. मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-1, गाटा संख्या-88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 106, 109a, & 110 ग्राम-खसरवारा, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ पर विकसित की गयी है।
3. उक्त आवासीय परियोजना के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 98733/सी-5/एल/जल-444/2023 दिनांक 01/08/2023 के माध्यम से रू० 23437.50/- प्रतिदिन की दर से रू० 17,81,250/- (रू० सत्रह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय अधिरोपित की गयी थी, परन्तु इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा नहीं गयी थी, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 13/09/2023 को इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था तथा इकाई द्वारा उक्त धनराशि रू० 17,81,250/- के सापेक्ष रू० 3,00,000/- जमा किये जाने की सूचना प्राप्त है तथा इकाई द्वारा शेष अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को शीघ्र जमा किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4. इकाई को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-896/2022 लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26/04/2023 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 98734/सी-5/एल/जल-444/2023 दिनांक 01/08/2023 को इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं-
 - मैसर्स ए०के० इन्फ्रा एण्ड रियलिटी डेवलपर्स प्रा०लि०, फ्लैट न०-2, सना पैलेस-2, अपो०-सहारागंज माल, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा परियोजना में निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।
 - परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क स्थापित किया जाये एवं समुचित क्षमता का एस०टी०पी० का निर्माण तत्काल कराया जाये।
5. उपरोक्त आवासीय परियोजना में निर्मित भवनो द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जाता है, निरीक्षण के समय आवासीय परियोजना परिसर के बाहर से उत्प्रवाह जनित होता नहीं पाया गया।
6. निरीक्षण के समय बन्दी आदेश दिनांक 01/08/2023 के अनुपालन में परियोजना में आवासीय निर्माण कार्य बन्द पाया गया तथा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस०टी०पी० स्थापित किया जा रहा है।
7. इकाई द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु निवेश मित्र के माध्यम से आनलाइन आवेदन दिनांक 02/06/2023 को किया गया था, जिसे इकाई में एस०टी०पी० स्थापित न किये जाने एवं इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या-185629/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 Dated : 20/06/2023 के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया था।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आपके अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


 (रज्जन त्रिपाठी)
 वैज्ञानिक सहायक


 (विनोद कुमार)
 सहा०पर्या०अभि०

क्षेत्रीय अधिकारी / मु०पर्या०अधि०(वृत्त-5) महोदय,


 13/02/24


CEO-5, Sir


आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-2, ग्राम-धावापुर, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ की निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-105/सी०ई०ओ० कैम्प/सी-5/2024 दिनांक 10/02/2024 एवं पत्र संख्या-एच 03973/सी-5/जल-445/2023 दिनांक 13/12/2023 के अनुक्रम में उक्त आवासीय परियोजना मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-1, ग्राम-कसेरवा, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 13/02/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री हदी (मैनेजर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-


1. मैसर्स ए०के० इन्फ्रा एण्ड रियलिटी डेवलपर्स प्रा०लि०, फ्लैट न०-2, सना पैलेस-2, अपो०-सहारागंज माल, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-2, ग्राम-धावापुर, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ के नाम से प्लानिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है।
2. मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज-2, गाटा संख्या-1/1, 2, 3, 5sa, 1sa, 93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238, 242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905miग्राम-धावापुर, तहसील-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ पर विकसित की गयी है।
3. उक्त आवासीय परियोजना के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 98732/सी-5/एल/जल-445/2023 दिनांक 01/08/2023 के माध्यम से रू० 23437.50/- प्रतिदिन की दर से रू० 17,81,250/- (रू० सत्रह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय अधिरोपित की गयी थी, परन्तु इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा नहीं गयी थी, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 13/09/2023 को इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था तथा इकाई द्वारा उक्त धनराशि रू० 17,81,250/- के सापेक्ष रू० 3,00,000/- जमा किये जाने की सूचना प्राप्त है तथा इकाई द्वारा शेष अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को शीघ्र जमा किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4. इकाई को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-896/2022 लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26/04/2023 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 98735/सी-5/एल/जल-445/2023 दिनांक 01/08/2023 को इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं-
 - मैसर्स ए०के० इन्फ्रा एण्ड रियलिटी डेवलपर्स प्रा०लि०, फ्लैट न०-2, सना पैलेस-2, अपो०-सहारागंज माल, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा परियोजना में निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।
 - परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क स्थापित किया जाये एवं समुचित क्षमता का एस०टी०पी० का निर्माण तत्काल कराया जाये।
5. उपरोक्त आवासीय परियोजना में निर्मित भवनो द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जाता है, निरीक्षण के समय आवासीय परियोजना परिसर के बाहर से उत्प्रवाह जनित होता नहीं पाया गया।
6. निरीक्षण के समय बन्दी आदेश दिनांक 01/08/2023 के अनुपालन में परियोजना में आवासीय निर्माण कार्य बन्द पाया गया तथा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस०टी०पी० स्थापित किया जा रहा है।
7. इकाई द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु निवेश मित्र के माध्यम से आनलाइन आवेदन दिनांक 02/06/2023 को किया गया था, जिसे इकाई में एस०टी०पी० स्थापित न किये जाने एवं इकाई के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 24/04/2023 जारी होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आपके अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(रज्जन त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक


(विनोद कुमार)
सहा०पर्या०अभि०


क्षेत्रीय अधिकारी/मु०पर्या०अधि० (वृत्त-5) महोदय,


13/02/24


CEO-5, Sr




निर्माणाधीन एस० टी० पी०



आवासीय प्लॉट



शूखा नाला निकट, कुवलपत्ती राम साखरे महाविद्यालय केन्द्र, सिकंदरपुर, लखनऊ ॥ अपस्ट्रीम ॥



शूखा नाला, निकट नब्हा कीकीपुर किसान उत्पादक कं लि०, ग्राम-कीकीपुर, लखनऊ ॥ (डाउनस्ट्रीम) ॥